

संख्या: 3-2/2019-हिन्दी कक्ष
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
(हिन्दी कक्ष)

दिनांक: 28 अप्रैल, 2022

परिपत्र

विषय: उदारीकृत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किए गए अपने दैनिक कार्य का त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से विवरण भेजना।

सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों को यह अवगत कराया जाता है कि उपरोक्त उदारीकृत प्रोत्साहन योजना संस्थान में वित्तीय वर्ष के आधार पर लागू की गई है। इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा निर्धारित पुरस्कार मानदंडों के अनुसार अर्थात् वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द अथवा अधिक शब्द लिखने वाले कर्मचारियों को निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं:

प्रथम पुरस्कार (दो पुरस्कार) रु.5000/- (प्रत्येक)

द्वितीय पुरस्कार (तीन पुरस्कार) रु.3000/- (प्रत्येक)

तृतीय पुरस्कार (पांच पुरस्कार) रु.2000/- (प्रत्येक)

नियमानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पुरस्कारों का निर्धारण करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक तिमाही किया जाना होता है। इस परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि संस्थान के विभागों/अनुभागों में जो स्टाफ सदस्य नोटिंग/ड्राफ्टिंग तथा अन्य कार्य मूल रूप में हिन्दी में कर रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि वे 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 को समाप्त चारों तिमाहियों का कार्य विवरण अपने निर्धारित फार्म में भर कर तथा अपने संबंधित विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष से यथाविधि प्रतिहस्ताक्षर करा कर हिन्दी कक्ष को यथाशीघ्र 09 मई, 2022 तक हिन्दी कक्ष में अवश्य भेज दें, ताकि प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कार प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उनके कार्य का मूल्यांकन करके समय से आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से यह अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को विभागों/अनुभागों में कार्य करने वाले सभी स्टाफ सदस्यों की सूचना में लाने और उन्हें उपरोक्त योजना में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने हेतु वरीयता पर प्रोत्साहित करने का कष्ट करें।

निधि - केसरवानी

(निधि केसरवानी)

निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सभी विभागाध्यक्ष/ अनुभागाध्यक्ष, रास्वापक. संस्थान
2. निदेशक के वैयक्तिक सहायक, रास्वापक. संस्थान
3. उप-निदेशक (प्रशा.) के वैयक्तिक सहायक, रास्वापक. संस्थान
4. सभी सूचना पट्ट
5. प्रभारी कम्प्युटर केंद्र को इस परिपत्र को संस्थान को वेबसाइट पर अपलोड कराने के अनुरोध सहित